6

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
08 / 2022	23.08.2022	20-4-2026

श्रीमती सावित्री शर्मा पत्नी हरिगोपाल शर्मा, ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 03 मिर्जापुर गंगापुर सिटी

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सलेमपुर पंचायत समिति, गंगापुर सिटी
2. उर्मिला पत्नी जयसिंह, गुर्जर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. श्रीमती बनी बाई पुत्री श्री धनीराम एवं शांतिदेवी पत्नी श्री रामनारायण जाति योगी निवासी सलेमपुर हाल निवासी आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर
4. श्रीमती दुर्गावती पुत्री श्री धनीराम एवं शांतिदेवी पत्नी बाबूलाल निवासी भाडौती तह0 मलारना डूंगर

—रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश संरपच ग्राम पंचायत सलेमपुर नामान्तरकरण संख्या 1243 दि0 20.7.2022 (22.7.2022) ग्राम सलेमपुर

उपस्थित :– श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री हुकमसिंह गुर्जर, एड., रेस्पो0 संख्या 3,4 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुर द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 1243 कानून व रिकॉर्ड के विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.7.2022 को होनी थी एवं इस दिन सरपंचो की हडताल थी। इस कारण बैठक की कार्यवाही नही हुई। सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुर ने बदनीयती पूर्वक बिना किसी मिटिंग के दिनांक 22.7.2022 को नामान्तकरण स्वीकृति के आदेश दे दिये। मिटिंग प्रोसेडिंग रजिस्टर मे भी दिनांक 20.7.2022 लिखकर 20 को 22 बनाया गया है एवं प्रोसेडिंग मे ग्राम पंचायत सेकेटरी के हस्ताक्षर भी नही है। दिनांक 20.7.2022 के बाद मिटिंग दिनांक 5.8.2022 को होनी थी परन्तु बदनियती पूर्वक दिनांक 22.7.2022 को नामान्तकरण मनमाने तरीके से खोल दिया गया है। बीच मे मिटिंग लेने का कोई प्रावधान नही है। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक है। प्रोसेडिंग रजिस्टर मे भी क्रम संख्या 13 पर अंतिम पृष्ठ पर अलग पैन से इन्द्राज किया हुआ है। जिस पर सेकेटरी या अन्य पंचो के कोई हस्ताक्षर नही है। अपीलार्थी सावित्रि ने वदाग्रस्त भूमि खाते [illegible] देवी व उसकी पुत्रियों से दिनांक 22.1.2005 को खरीद [illegible] जिस पर अपीलार्थी का कब्जा आज भी चला आ रहा है। इस भूमि [illegible] छल कपट पूर्वक [illegible] जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.2.09 को श्रीमती शांतिदेवी से उर्मिला ने उपपंजीयक सवाई माधोपुर के समक्ष करवा लिया जबकि भूमि सलेमपुर मे होने के कारण उपपंजीयक कार्यालय गंगापुर सिटी लगता है। इस विक्रय पत्र को निरस्त कराने का दावा अपीलार्थी ने न्यायालय मे कर रखा है

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्र0) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:06:59 IST
Reason: SelfAttested

7

जिसका निर्णय दिनांक 15.7.2022 को हुआ है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे अपील पेश की हुई है। जहाँ से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे यथास्थिति बनाए रखने के आदेश है। न्यायालय का निर्णय होने के बाद उसकी अपील की मियाद समाप्त होने के बाद भी नामान्तकरण की कार्यवाही की जा सकती है परन्तु रेस्पो. उर्मिला ने रेस्पो. सरपंच से मिलकर 13 साल पुरानी रजिस्ट्री के सम्बन्ध मे न्यायालय के निर्णय के दिनांक 15.7.22 के सात दिन के अंदर दिनांक 22.7.2022 को नामान्तकरण खुलवा लिया जो विधि विरूद्ध है एवं निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्करण संख्या 1243 निरस्त फरमावे एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति पूर्ववत कायम किये जाने के आदेश फरमाये।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ से मूल नामान्तकरण तलब किया गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ से मूल नामान्तकरण प्राप्त हुआ जो पत्रावली मे संलग्न है। अपीलार्थी संख्या 1, 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए है एवं रेस्पो0 3, 4 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए है।

अपील के साथ अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 1243 दिनांक 20.07.2022, फोटोकॉपी प्रोसेडिंग दिनांक 22.7.2022 ग्राम पंचायत सलेमपुर, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 455 ग्राम सलेमपुर, फोटोकॉपी आदेश माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर दिनांक 1.8.2022, फोटोकॉपी नकल निर्णय दिनांक 15.7.2022 मुकदमा उनवानी श्रीमती सावित्री बनाम श्रीमती उर्मिला वगैरा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 गंगापुर सिटी प्रस्तुत किये है।

रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही किये गये।

बहस विद्वान अभिभाषक उभययपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0न0 308, 311 ग्राम सलेमपुर के सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत सलेमपुर द्वारा स्वीकृत किया गया अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1243 दिनांक 22.7.2022 विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया है क्योकि पत्रावली पर उपलब्ध इन खसरा नम्बरों की जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 455 मे न्यायालय उपजिला कलक्टर गंगापुर सिटी के मुकदमा नम्बर 74/22 उनवानी सावित्री बनाम कृष्णगोपाल वगैरा मे जारी मौका [illegible] बनाए रखने को अस्थाई निषेधाज्ञा का नोट अंकित है। इसके [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामा. स्वीकृत किया गया है जो विधि [illegible] है। अतः अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:06:59 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3,4 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा सही प्रकार से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 466 मे न्यायालय उपजिला कलक्टर गंगापुर सिटी के मुकदमा नम्बर 74/22 जनवानी सावित्री बनाम कृष्णगोपाल वगैरा मे जारी मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने को अस्थाई निषेधाज्ञा का नोट अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थगन आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 1243 दिनांक 22.07.2022 ग्राम सलेमपुर निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण मे पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान सुनवाई हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होवे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-4-2026 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:06:59 IST
Reason: SelfAttested